तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.04.2019	प्रार्थना पत्र प्रार्थी गिरधारी की ओर से अभिभाषक श्री अनिल खण्डेलवाल द्वारा उपस्थित होकर पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावें, वकील श्री खण्डेलवाल को एकतरफा अस्थायी निषेधाज्ञा पर सुना गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी ने निवेदन किया है कि ताफैसला वाद प्रार्थी के पक्ष में प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध एक अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की प्रसारित की जावें कि प्रतिपक्षीगण ग्राम टहला तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 31 दक्षिण रकबा 0.72 हे0, ख0नं0 299/35 मध्य रकबा 2.20 हे0 कुल किता 2 रकबा 2.92 हे0 एवं ग्राम टहला तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 24 रकबा 4.23 हे0, ख0नं0 39 रकबा 1.44 हे0, ख0नं0 176 रकबा 0.09 हे0, ख0नं0 179 रकबा 0.33 हे0 कुल किता 4 रकबा 6.09 हे0 भूमि अथवा उसके किसी भाग को खुर्द बुर्द रहन व बैचान नहीं करे तथा प्रार्थी को काश्त करनें से नहीं रोके। उक्त कृत्य न तो स्वयं करे और न अपनें किसी प्रतिनिधि से ही करावें। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत फोटोप्रति प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम टहला तहसील दीगोद सं0 2073–76 तथा अन्य दस्तावेंजो के आधार पर प्रथम दृष्ट्या केस प्रार्थी के पक्ष में नजर आता है। अतः अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिपक्षी नं0 1 लगायत 32 इस आशय की जारी की जाती है विवादग्रस्त आराजी वाके ग्राम टहला तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 31 दक्षिण रकबा 0.72 हे0, ख0नं0 299/35 मध्य रकबा 2.20 हे0 कुल किता 2 रकबा 2.92 हे0 एवं ग्राम टहला तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 24 रकबा 4.23 हे0, ख0नं0 39 रकबा 1.44 हे0, ख0नं0 176 रकबा 0.09 हे0, ख0नं0 179 रकबा 0.33 हे0 कुल किता 4 रकबा 6.09 हे0 भूमि के रिकॉर्ड की स्थिति यथावत् रखी जावें। अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिपक्षी नं0 1 लगायत 32 आगामी आदेश तक जारी की जाती है। यदि प्रतिपक्षीगण को कोई आपत्ति हो तो वह आगामी पेशी 28.05.2019 को न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें। पत्रावली दिनांक 28.05.2019 को पेश हो। (कैलाश चन्द शर्मा) उपखण्ड अधिकारी, दीगोद	
28-5-19	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी। [illegible] मूल वाद का निस्तारण हो चुका है। उक्त प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य शेष नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली कैफल शुमार होकर मूलवाद के साथ संलग्न रहे	गिरधारीलाल